

प्रारूप-30.3

**परियोजना विवरण :-** मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या -1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या -1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ( शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.742 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.742 हे0 वन भूमि ) का प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीछीना ) की दिनांक 31.08.08 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी0 रविशंकर जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सी0 रविशंकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- श्री विनय कुमार प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्रीमति मंजूला देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ग्राम सिर्दांग धारचूला जिला पंचायत सदस्य
- 4- श्री कमलेश आर्या पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम जैती विकास खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
- 5- श्री अमर बहादुर चन्द पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द ग्राम दुतीबगड जौलजीबी विकास खण्ड धारचूला जिला पंचायत सदस्य
- 6- श्री ~~रंजित शर्मा~~ जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या -1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.742 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या -1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.742 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

प्रभागीय वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग  
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी,  
पिथौरागढ़

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
पिथौरागढ़

जिला पंचायत  
सतगढ़

जि० पं० सदस्य  
सिर्दांग

अनापत्ति जारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग  
पिथौरागढ़

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Pithoragarh

No--- 35

Dated-31.08.018


TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.742** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of Satgarh (**Devkapda, Khateda**) village (s) in **Kanalichhina (Pithoragarh)** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.742** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

  
जिल्लाधिकारी  
पिथौरगढ़

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **C. Ravi Sankar A.S** deputy commissioner, **Pithoragarh** on dated **31.8.18**. at time **4.30**...at **P.M.** in which application claiming rights in ..... area measuring 0.742 hect for the construction of Gram Satgarh Dharmshala Motar Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kanalichina( Pithoragarh) sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;... **Pithoragarh**  
Dated:.. **31.8.18**

  
**Deputy Commissioner-cum-Chairman**  
**District Level Committee**

परियोजना विवरण :- मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या -1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डीडीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, डीडीहाट

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या -1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ( 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.742 हे0 सिविल सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.742 हे0 वन भूमि ) का प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डीडीहाट ) की दिनांक 21/06/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री \_\_\_\_\_, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री वैजय प्रताप उपजिलाधिकारी \_\_\_\_\_ अध्यक्ष
- 2- श्री अनिल कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी \_\_\_\_\_ सदस्य
- 3- श्री जुनीय कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी \_\_\_\_\_ सदस्य/सचिव
- 4- श्री मनीकमला देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र \_\_\_\_\_ सदस्य
- 5- श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री कमान सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र ख्वाकोट सदस्य
- 6- श्री उमेश सिंह पुत्र शेर सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र जमतड़ सदस्य
- 7- श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री भुवन चन्द्र कापड़ी बी0डी0सी0 क्षेत्र सतगढ़ सदस्य

*(Handwritten signatures and stamps)*  
 क्षेत्र पंचायत  
 ख्वाकोट सदस्य  
 सदस्य  
 वि0ख0-कनालीछीना  
 पिथौरागढ़

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या -1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.742 हे0 वन भूमि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या -1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.742हे0 वन भूमि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

*(Signature)*  
 उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील- कनालीछीना  
 जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*(Signature)*  
 उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील- कनालीछीना  
 जनपद पिथौरागढ़

*(Stamps and signatures)*  
 सदस्य  
 क्षेत्र पंचायत सतगढ़  
 वि0ख0-कनालीछीना  
 जिला-पिथौरागढ़  
 उप प्रभागीय वनाधिकारी  
 डीडीहाट  
 पिथौरागढ़ वन प्रभाग

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या -1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम सतगढ़  
तहसील कनालीछीना, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या -1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु ( 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.742 हे0 सिविल सोयम भूमि .0.00 हे0, वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल 0.742 हे0 वन भूमि का प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सतगढ़ द्वारा दिनांक 13/06/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सतगढ़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

14/6/2018  
ग्राम पंचायत सतगढ़  
ग्राम सचिव  
मुहर सहित  
वि० ख० लो० नि० वि०  
पिथौरागढ़

ह0 /-  
सरपंच  
मुहर सहित

ह0 /-  
ग्राम प्रधान  
मुहर सहित  
हरिप्रिया  
ग्राम पंचायत - सतगढ़  
विकास खण्ड-कनालीछीना

13/06/18  
शुभांगिनी  
राजस्व उपनिरीक्षक  
क्षेत्र-सियोल  
तहसील-कनालीछीना

नरमालदास  
कनालीछीना (पिथौरागढ़)

प्रारूप-30.4

दिनांक 13.6.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सतगढ़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	विमेश चन्द कापडा	[Signature]
2-	गणेश चन्द कापडा	[Signature]
3-	गणेश चन्द कापडा	[Signature]
4-	कृष्णानन्द	[Signature]
5-	महेश चन्द	[Signature]
6-	शिव प्रसाद	[Signature]
7-	महेश चन्द	[Signature]
8-	शिव प्रसाद	[Signature]
9-	मनोहर कापडा	[Signature]
10-	दीपक सोनी	[Signature]
11-	दीपक सोनी	[Signature]
12-	दीपक कापडा	[Signature]
13-	गिरिश सोनी	[Signature]
14-	राजेश सोनी	[Signature]
15-	राजेश सोनी	[Signature]
16-	लक्ष्मी चन्द	[Signature]
17-	गणेश चन्द	[Signature]
18-	गणेश चन्द	[Signature]
19-	गणेश चन्द	[Signature]
20-	गणेश चन्द	[Signature]
21-	गणेश चन्द	[Signature]
22-	गणेश चन्द	[Signature]
23-	गणेश चन्द	[Signature]
24-	गणेश चन्द	[Signature]
25-	गणेश चन्द	[Signature]
26-	गणेश चन्द	[Signature]
27-	गणेश चन्द	[Signature]
28-	गणेश चन्द	[Signature]
29-	गणेश चन्द	[Signature]
30-	गणेश चन्द	[Signature]
31-	गणेश चन्द	[Signature]
32-	गणेश चन्द	[Signature]
33-	गणेश चन्द	[Signature]

महेश चन्द  
सतगढ़

ह0/-  
ग्राम प्रधान  
हरिप्रिया  
ग्राम पंचायत - सतगढ़  
विकास खण्ड-कनालीछाना